<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 1056/2024

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- मुकेश पुत्र पप्पूलाल, निवासी मेठून,

02- जीतू उर्फ जितेन्द्र, निवासी थरोल,

03- कमलेश पुत्र जमनालाल, निवासी बरड़ावदा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 126(2) भारतीय न्याय संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 12-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 132, 126(2) का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02-12-2024 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28-07-2024 को फरियादी सांवरमल फीडर इंचार्ज GSS मोरेली RSEB अकलेरा ने उपस्थित थाना अकलेरा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह गांव बिहारीपुरा, पोस्ट सांवली, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का रहने वाला है। वर्तमान में जिला झालावाड़ अकलेरा में मोरेली फीडर पर कार्यरत है। आज बारिश के कारण लाईन फाल्ट आ रही थी तो वह फाल्ट सही करने गया तो रास्ते में फर्जी ट्रांसफार्मर से लकड़ी के माध्यम से 11 केवी फर्जी लाईन ले जा रीख थी तो उसने उनको बताया कि 10 केवी का ट्रांसफार्मर हटा लो उसकी लाईन बार-बार फाल्ट आती है। इस फर्जी ट्रांसफार्मर वाले का नाम रामलाल पुत्र बाबूलाल, निवासी थरोल 10 केवी का ट्रांसफार्मर फर्जी चला रहा था। उसके बाद वह उनके घर से एनएच 52 की तरफ आ गया। उसके बाद जीतू नाम का युवक आया और Cute जीजाजी के नाम से फोन लगाया और कहा कैलाश MLA बोल रहा हूं। उसके बाद में थरोल में इन्सूलेटर फाल्ट था तो इन्सूलेटर लेने थरोल से मैठून पावर हाउस गया था। उसके बाद उसका पीछा कर रहे थे लड़के तो उसने AEN साहब को फोन करके जानकारी दी तो AEN साहब को बताने पर AEN साहब ने JEN साहब को सूचना देने के लिए कहा, उसने उसके बाद JEN साहब को जानकारी दी। फिर JEN साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूं। उसके बाद जीएसएस पर आए और उसके साथ मारपीट करी कपड़े फाड़ दिए। बांस की मोटी लकड़ी से पैरों और गर्दन पर वार किए। उसके बाद वह छुड़ा कर

एनएच 52 पर टोल पर भागता हुआ आया फिर भी मारते हुए आए और टोल पर बाईक से पीछा करते हुए, डंडो से वार करने के दौरान रोड़वेज बस आ गई तो बस में बैठकर थाने में आ गया। मारपीट करने वाले मुकेश मैठून, कमलेश बरड़ावदा गांव के रहने वाले हैं व थरोल का जीतू ने मारने की धमकी दी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 383/2024, अन्तर्गत धारा 121(1), 132 भा.न्या.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 121(1), 132, 126(2) भा.न्या.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 121(1), 132, 126(2) भा.न्या.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 गोकुलप्रसाद, पी.डब्ल्यू. 02 डॉ. नितेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 03 प्रवीण, पी.डब्ल्यू. 04 लखन, पी.डब्ल्यू. 05 जसकरण सिंह, पी.डब्ल्यू. 06 गोपाल सिंह, पी.डब्ल्यू. 07 सांवरमल को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 14 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं बनाया गया है एवं सभी गवाहान परिवार जन होकर हितबद्ध गवाहान है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 28-07-2024 को किसी समय मौजा जीएसएस मोरेली आरएसईबी अकलेरा पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सांवरमल, फिडर इंचार्ज जीएसएस मोरेली आईएसईबी अकलेरा जो कि वक्त घटना अपने लोक कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, को उसके कर्त्तव्य निर्वहन से निवारित करने/भयोपरत करने के आशय से आड़े फिरकर रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहाति कारित कर उसके विरूद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 121(1), 132, 126(2) भा.न्या.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हां तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी सांवरमल द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह गांव बिहारीपुरा, पोस्ट सांवली, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का रहने वाला है। वर्तमान में जिला झालावाड़ अकलेरा में मोरेली फीडर पर कार्यरत है। आज बारिश के कारण लाईन फाल्ट आ रही थी तो वह फाल्ट सही करने गया तो रास्ते में फर्जी ट्रांसफार्मर से लकड़ी के माध्यम से 11 केवी फर्जी लाईन ले जा रीख थी तो उसने उनको बताया कि 10 केवी का ट्रांसफार्मर हटा लो उसकी लाईन बार-बार फाल्ट आती है। इस फर्जी ट्रांसफार्मर वाले का नाम रामलाल पुत्र बाबूलाल, निवासी थरोल 10 केवी का ट्रांसफार्मर फर्जी चला रहा था। उसके बाद वह उनके घर से एनएच 52 की तरफ आ गया। उसके बाद जीतू नाम का युवक आया और Cute जीजाजी के नाम से फोन लगाया और कहा कैलाश MLA बोल रहा हूं। उसके बाद में थरोल में इन्सूलेटर फाल्ट था तो इन्सूलेटर लेने थरोल से मैठून पावर हाउस गया था। उसके बाद उसका पीछा कर रहे थे लड़के तो उसने AEN साहब को फोन करके जानकारी दी तो AEN साहब को बताने पर AEN साहब ने JEN साहब को सूचना देने के लिए कहा, उसने उसके बाद JEN साहब को जानकारी दी। फिर JEN साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूं। उसके बाद जीएसएस पर आए और उसके साथ मारपीट करी कपड़े फाड़ दिए। बांस की मोटी लकड़ी से पैरों और गर्दन पर वार किए। उसके बाद वह छुड़ा कर एनएच 52 पर टोल पर भागता हुआ आया फिर भी मारते हुए आए और टोल पर बाईक से पीछा करते हुए, डंडो से वार करने के दौरान रोड़वेज बस आ गई तो बस में बैठकर थाने में आ गया। मारपीट करने वाले मुकेश मैठून, कमलेश बरड़ावदा गांव के रहने वाले हैं व थरोल का जीतू ने मारने की धमकी दी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें सर्वप्रथम गवाह प्रकरण का फरियादी सांवरमल न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 07 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जिसकी जिस फीडर पर डयूटी होती है उसमें

उसी फीडर के कर्मचारी काम करते हैं। वह मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। उसे मुल्जिमान के नाम गोकुल ने बताए थे। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले 6-7 आदमी थे। उसके पास मेठून फीडर पर जाने का आदेश पत्रावली में नहीं लगाया। वह साढ़े 6 बजे बाद रिपोर्ट कराने थाने पर गया था। उसने रिपोर्ट उसके विभाग के जेईएन साहब से बातचीत करके करवाई थी। वह मेठून पावरहाउस से टोल की तरफ भगा था। घटनास्थल पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके नाम उसने गवाह में नहीं लिखाए, वह उनको नहीं जानता था। गोकुल और प्रवीण भी उसके साथ ही थे।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 06 गोपाल सिंह है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ नहीं की। घटनास्थल के पास टोल स्थित है वहां 24 घण्टे आदमी रहते हैं। जहां लड़ाई झगड़ा हुआ वहां तक टोल के फुटेज नहीं है। गवाहान पी.डब्ल्यू. 04 लखन व पी.डब्ल्यू. 05 जसकरण सिंह है जो कि फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान प्रदर्श पी. 06 लगायत पी. 08 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि मुल्जिमान को थाने में ही गिरफ्तार किया था।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 डॉ. नितेन्द्र शर्मा है जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर प्रकरण के मजरूब सांवरमल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि चोट नं. 3 व 4 सीढियों से फिसलने के कारण आ सकती हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 गोकुलप्रसाद है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 व पी. 02 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पुलिस ने उसके थाने में खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे किस बात के कराए थे, उसे पता नहीं है।

15- परिवादी द्वारा अपनी जिरह में उसके साथ प्रवीण का होना बताया जबकि प्रवीण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी ना ही उसे घटना के बारे में जानकारी है। वह सांवरमल के साथ कोई फाल्ट देखने नहीं गया व न ही किस जगह फर्जी ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसे याद नहीं है। जीतू ने कैलाश मीणा को फोन लगाया हो और कैलाश मीणा ने सांवरमल को धमकी दी हो तो उसे पता नहीं है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 05 का ए से बी भाग गलत लिखा हुआ है।

16- इस प्रकार सभी गवाहों की साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि फरियादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। उसने मेठून फीडर पर जाने का आदेश पत्रावली में नहीं लगाया। उसे मुल्जिमान के नाम गोकुल द्वारा बताए गए थे जबकि गोकुल ने पत्रावली में पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित होकर ऐसा कोई कथन नहीं किया है। उक्त गवाह नक्शा मौका का गवाह है। पुलिस ने उसके थाने में खाली पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसके अतिरिक्त फरियादी ने प्रवीण का उसके साथ होना बताया है जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 03 प्रवीण पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने घटना से संबंधित कोई भी तथ्य की

जानकारी होने से इंकार किया है। प्रकरण के चिकित्सा अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 02 डॉ. नितेन्द्र शर्मा ने फरियादी के आई चोट नं. 3 व 4 सीढ़ियों से फिसलने के कारण आ सकना बताया है। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28-07-2024 को किसी समय मौजा जीएसएस मोरेली आरएसईबी अकलेरा पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सांवरमल, फिडर इंचार्ज जीएसएस मोरेली आईएसईबी अकलेरा जो कि वक्त घटना अपने लोक कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, को उसके कर्त्तव्य निर्वहन से निवारित करने/भयोपरत करने के आशय से आड़े फिरकर रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहाति कारित कर उसके विरूद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्तगण धारा 121(1), 132, 126(2) भा.न्या.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

18- अतः अभियुक्तगण 01- मुकेश पुत्र पप्पूलाल, निवासी मेठून, 02- जीतू उर्फ जितेन्द्र, निवासी थरोल, 03- कमलेश पुत्र जमनालाल, निवासी बरड़ावदा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 126(2) भा.न्या.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437क द.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

20- निर्णय आज दिनांक 12-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.12 04:28:43 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।